राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1132/2025

विमला चौधरी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, कृषि, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कुचामन सिटी, जिला डीडवाना कुचामन।
4. लक्ष्मी चौधरी, मुख्यालय संखवास, सहायक निदेशक कृषि विस्तार, मेडता सिटी, जिला नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जावेद अहमद, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय लूणवा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मुख्यालय लूणवा सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन से मुख्यालय संखवास सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), मेड़तासिटी में प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर 100 कि.मी. दूर किया गया है एवं प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण उसको समायोजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 17 के अनुसार अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिया जाना चाहिए था जो कि स्थानान्तरण आदेश में दर्शित नहीं किाय गया है तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ना ही लोकहित में किया गया

है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य